



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ
मिशन शक्ति बुलेटिन-III

दिनांक- 12.11.2025

"मिशन शक्ति 5.0:
साइबर सुरक्षा का संकल्प, डिजिटल भारत का विकास"

थाना अलीगंज क्षेत्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय महिला स्नाकोत्तर महाविद्यालय, अलीगंज जनपद लखनऊ में छात्राओं को मिशन शक्ति के तहत किया जागरूक, छात्राओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग बनाने और उन्हें महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों तथा साइबर क्राइम से बचाव की दी गई जानकारी।

क्षेत्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय महिला स्नाकोत्तर महाविद्यालय, अलीगंज में "मिशन शक्ति 5.0" अभियान का सफल आयोजन किया गया। इस अभियान के तहत सभी छात्र-छात्राओं ने साइबर सुरक्षा का प्रण लिया और डिजिटल दुनिया में सतर्क रहने के महत्व को समझा। छात्राओं को साइबर खतरों से बचाव के व्यावहारिक उपाय सिखाए गए, जिससे उन्हें ऑनलाइन सुरक्षा के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त हुआ। यह कार्यक्रम नई पीढ़ी को सशक्त बनाने और डिजिटल युग में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक, 01 अतिरिक्त निरीक्षक, 01 उपनिरीक्षक, 01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

कार्यक्रम का उद्देश्य:

- छात्र-छात्राओं में मिशन शक्ति व साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाना।
- हेल्पलाइन नंबरों के बारे में विस्तार पूर्वक समझाना।
- साइबर अपराधों के प्रति सजग करना।

आयोजक/ आयोजन स्थल

क्षेत्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय महिला स्नाकोत्तर महाविद्यालय, अलीगंज

प्रतिभाग-

- म0उ0नि0 प्रगति सिंह, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- म0उ0नि0 आशी गुप्ता, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- म0का0 दुर्गेश वर्मा, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- म0का0 सुप्रिया, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- मिशन शक्ति, एंटी रोमियो टीम, लखनऊ कमिश्नरेट.
- क्षेत्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय महिला स्नाकोत्तर महाविद्यालय, अलीगंज की छात्राएँ।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 12.11.2025 को क्षेत्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय महिला स्नाकोत्तर महाविद्यालय, अलीगंज में करीब 25- 30 छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम में महिलाओं को अपने साथ हो रहे अपराधों व अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई साथ ही साथ महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों जैसे 1090 (महिला पावर लाइन), 181 (महिला हेल्पलाइन), 1098 (चाइल्डलाइन), 1076 (टोल-फ्री सिटीजन कॉल सेंटर), 101 (अग्निशमन), 102 (एम्बुलेंस), 108 (आपातकालीन सेवा), 112 (ईआरएसएस) और 1930 (साइबर क्राइम हेल्पलाइन) के बारे में विस्तार से बताया गया। इसके अलावा, उन्हें यूपी-100 (यूपी कोप) एवं महिलाओं के लिए समर्पित अन्य सरकारी योजनाओं से भी अवगत कराया गया।

"मिशन शक्ति" के लक्ष्य:

- ✓ **सुरक्षा जागरूकता:** महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों (जैसे यौन उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा) की रोकथाम और रिपोर्टिंग के बारे में जागरूकता फैलाना।
- ✓ **महिला सशक्तिकरण:** महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, सुरक्षा प्रावधानों और सरकारी योजनाओं की जानकारी देना।
- ✓ **शिक्षा का महत्व:** छात्राओं को शिक्षा के महत्व और करियर के अवसरों के बारे में प्रोत्साहित करना।
- ✓ **स्वास्थ्य और स्वच्छता:** महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता से जुड़ी जानकारी साझा करना।
- ✓ **डिजिटल सुरक्षा:** साइबर क्राइम और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के तरीके बताना।

महिला सुरक्षा एवं आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर

महिला अपराध, साइबर अपराध एवं आपात स्थिति के लिए महत्वपूर्ण संसाधन

- **1090 (महिला पावर लाइन):** महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत के लिए प्रमुख हेल्पलाइन।
- **112 (आपातकालीन सेवाएं):** किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में पुलिस, एम्बुलेंस और अग्निशमन के लिए एकीकृत नंबर।
- **108 (एम्बुलेंस सेवा):** तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए।
- **1098 (चाइल्डलाइन):** बच्चों से जुड़ी किसी भी समस्या या संकट के लिए।
- **1076 (टोल-फ्री हेल्पलाइन):** सामान्य सहायता और जानकारी के लिए।

डिजिटल संसाधन एवं पोर्टल

- **साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल:** साइबर धोखाधड़ी, हैकिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न आदि की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए आधिकारिक पोर्टल।
- **यूपी कॉप ऐप (UP COP App):** उत्तर प्रदेश पुलिस का मोबाइल ऐप, जिसके माध्यम से त्वरित सहायता, लोकेशन शेयरिंग और ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-IV

दिनांक- 12.11.2025

मिशन शक्ति 5.0 की पाठशाला, जागरूकता है सुरक्षा की पहली सीढ़ी।

थाना रहीमाबाद द्वारा मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत थाना क्षेत्र थाना क्षेत्र ग्राम मनकौटी अंतर्गत मोहम्मद रफीक शिक्षण संस्थान जूनियर हाई स्कूल की छात्राओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबर, पिंक बूथ, पिंक मोबाइल एवं महिला शक्ति केंद्र के बारे में विस्तृत जानकारी देकर छात्राओं को कानूनी अधिकारों और साइबर सुरक्षा से किया गया रूबरू।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान एक **सराहनीय कदम** है जो महिला सशक्तिकरण के संदेश को देश के कोने-कोने तक पहुँचाने में मदद कर रहा है। यह न केवल महिलाओं को उनकी शक्ति का अहसास कराता है बल्कि एक सुरक्षित, सम्मानजनक और समान समाज के निर्माण की नींव रखता है।

श्रीमान पुलिस आयुक्त, लखनऊ, **श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर** के कुशल निर्देशन में कमिश्नरेट लखनऊ में महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु व्यापक जागरूकता गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं। इस क्रम में, जनपद के 54 थानों पर **मिशन शक्ति केंद्र** स्थापित किए गए हैं, जहाँ महिला संबंधित समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु समर्पित अधिकारियों (निरीक्षक, अतिरिक्त निरीक्षक, उपनिरीक्षक, महिला उपनिरीक्षक) की नियुक्ति की गई है।

आयोजक/आयोजन स्थल

- उपरोक्त कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य मोहम्मद आफताब व अन्य शिक्षकों सहयोग से आयोजित किया गया।
- थाना क्षेत्र ग्राम मनकौटी अंतर्गत मोहम्मद रफीक शिक्षण संस्थान जूनियर हाई स्कूल

प्रतिभाग-

- प्रभारी निरीक्षक श्री अरूण त्रिगुणायक, थाना रहीमाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ
- उप निरीक्षक श्री अनिरुद्ध मिश्र, थाना रहीमाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ
- कॉन्स्टेबल मनु कुमार, थाना रहीमाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ
- कॉन्स्टेबल रणविजय, , थाना रहीमाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ
- महिला कॉन्स्टेबल सोनी चौधरी, थाना रहीमाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ

कार्यक्रम का विस्तृत विवरण:

थाना क्षेत्र ग्राम मनकौटी अंतर्गत मोहम्मद रफीक शिक्षण संस्थान जूनियर हाई स्कूल की छात्राओं को मिशन शक्ति टीम द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला अपराधों की रोकथाम हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों 1098, 1090, 181, 1076, 1930, 101, 112, 102 और 108 की जानकारी देकर पम्पलेट वितरित किया गया। इसके अतिरिक्त एंटी रोमियो टीम, पिक बूथ, पिक मोबाइल एवं महिला शक्ति केंद्र के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई साथ ही साथ साइबर अपराधों के बारे में जानकारी देते हुए उनके प्रति सचेत किया गया तथा उनसे बचाव के उपायों हेतु टोल फ्री नंबर 1930 के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की गई। तत्पश्चात नए कानूनों के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए स्कूल की छात्राओं को जागरूक किया गया। साथ ही साथ यातायात माह के दृष्टिगत लोगों को बिना हेलमेट, तीन सवारी, अत्यधिक गति में वाहन न चलाएं और यातायात के नियमों का पालन करने हेतु निर्देशित किया गया। उपरोक्त कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य मोहम्मद आफताब व अन्य शिक्षकों की उपस्थिति रही।

जागरूकता के मुख्य बिंदु:

1. **आत्मरक्षा एवं सुरक्षा के तरीके:** छात्राओं को आत्मसुरक्षा के गुर सिखाए गए तथा 'गुड टच और बैड टच' के बारे में संवेदनशील जानकारी दी गई, ताकि वे किसी भी अनुचित व्यवहार को पहचान सकें और विरोध कर सकें।
2. **कानूनी अधिकार एवं कुप्रथा निषेध:** बालिकाओं को उनके कानूनी अधिकारों और बाल विवाह निषेध जैसे सामाजिक-कानूनी प्रावधानों के बारे में जागरूक किया गया।
3. **महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर:** पुलिस टीम ने छात्राओं को आपातकालीन सेवाओं हेतु आवश्यक हेल्पलाइन नंबरों जैसे 1090 (वूमेन पावर लाइन), 112 (आपातकालीन सेवा), 1098 (चाइल्डलाइन), 101, 102, 108, 1076 के बारे में बताया गया।
4. **साइबर सुरक्षा:** डिजिटल युग की चुनौतियों को देखते हुए, टीम ने साइबर अपराधों से बचाव के उपाय और साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई, ताकि छात्राएं ऑनलाइन खतरों से सुरक्षित रह सकें।
5. **पम्पलेट वितरण:** छात्राओं को जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सूचनात्मक पम्पलेट भी वितरित किए गए।

यह सराहनीय कदम महिला सशक्तिकरण के संदेश को देश के कोने-कोने तक पहुँचाने में मदद कर रहा है और एक सुरक्षित, सम्मानजनक और समान समाज के निर्माण की नींव रखता है।

कार्यक्रम का उद्देश्य एवं महत्व:

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला सुरक्षा, आत्मनिर्भरता एवं साइबर जागरूकता को बढ़ावा देना था। मिशन शक्ति टीम ने छात्राओं को यह संदेश दिया कि सुरक्षा, सम्मान और आत्मरक्षा हर नारी का अधिकार है और उन्हें अपनी आवाज़ बुलंद करने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए।

03-अनावरित अभियोग-

01-मु0अ0सं0 209/2025 धारा 115(2)/309(4)/317(2) बीएनएस थाना निगोहाँ लखनऊ

04-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता/व्यवसाय:-

1. राज पुत्र स्व0 योगेश कुमार निवासी ग्राम गोविन्दपुर थाना मोहनलालगंज लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष
2. सूर्यकान्त उर्फ गोलू पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम गोविन्दपुर थाना मोहनलालगंज लखनऊ उम्र करीब 19 वर्ष

05-अभियुक्त राज उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 173/2025 धारा 191(2)/115(2)/351(3) बीएनएस थाना निगोहां लखनऊ ।

06-बरामदगी-

- 01 अदद मोबाइल फोन सैमसं कीपैड
- 1100 रुपये नगद बरामद ।

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- ❖ थाना निगोहाँ लखनऊ पुलिस टीम ।



पुलिस कमिश्नरेंट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2680

दिनांक-12.11.2025

जोन- पूर्वी/ थाना- विभूतिखण्ड

- थाना विभूतिखण्ड पुलिस टीम द्वारा जनता के सहयोग से कठौता पेट्रोल पम्प के पास सुतली बम से हमला करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।
- घटना कारित करने में संलिप्त 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार व अन्य की तलाश जारी है।

01-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 12.11.2025 को वादी मुकदमा श्री सार्थक गौतम पुत्र विजय कुमार गौतम निवासी- विजयन्तखण्ड- 1 गोमतीनगर लखनऊ की प्रस्तुत तहरीर बाबत अभि0 गण द्वारा वादी के साथ मारपीट करने, जान से मारने की नियत से पेट्रोल पम्प के पास सुतली बम से हमला करने जिससे मौके पर अफरा तफरी जैसा माहौल हो जाने तथा वादी को जान से मारने की धमकी देने विषयक के आधार पर थाना विभूतिखण्ड लखनऊ पर मु0अ0सं0 0402/2025 धारा 115(2)/351(3)/288/125/191(2)/191(3)/109 बीएनएस व 3/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 1908 व 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत किया गया।

उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में अभियुक्त को तत्काल गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 05 अदद अवैध सुतली बम्ब बरामद किया गया तथा घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल को सीज किया गया। पकड़े गये अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

02-अपराध का उद्देश्य:-

अभियुक्त द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर वाद-विवाद को लेकर पीड़ित पर जान से मारने की नियत से कठौता पेट्रोल पम्प के पास सुतली बम से हमला करने, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी दिये जाने का अपराध कारित किया गया।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

1. सैफ उर्फ बाबू पुत्र सुल्तान निवासी बड़ी मस्जिद के पास सतरिख रोड थाना चिनहट लखनऊ उम्र करीब 21 वर्ष

04-बरामदगी का विवरण

- 05 अदद अवैध देसी जिन्दा सुतली बम
- 01 अदद वाहन संख्या UP32PZ5254 बुलेट-- (घटना में प्रयुक्त)

05- अनावरित अभियोग का विवरण:-

1. मु0अ0सं0 0402/2025 धारा 115(2)/351(3)/288/125/191(2)/191(3)/109 बीएनएस व 3/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 1908 व 7 सीएलए एक्ट थाना विभूतिखण्ड लखनऊ

06- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना विभूतिखण्ड-

1. उ0नि0 श्री गणेश सिंह पटेल,
2. उ0नि0 श्री मोहित कुमार,
3. उ0नि0 श्री जितेंद्र भाटी।

जल्लापुर महसी, लहरपुर सीतापुर को धारा 380 भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अन्तर्गत 03 वर्ष 04 माह के साधारण कारावास व 2000/- रुपये के अर्थदण्ड तथा धारा 380 भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अन्तर्गत 03 वर्ष के साधारण कारावास व 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। इसी प्रकार से उपरोक्त माननीय न्यायालय द्वारा थाना विकासनगर पर पंजीकृत अपराध संख्या 161/2024 धारा 305(a)/317(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं सत्र परीक्षण संख्या 112775/2024 से संबंधित अभियुक्त हैदर हुसैन पुत्र साबिर हुसैन निवासी सी 43 बैरियर नं0 08, लवकुश नगर थाना गाजीपुर, जनपद लखनऊ को धारा 305(a) भारतीय न्याय संहिता 2023 के अन्तर्गत 02 वर्ष के साधारण कारावास व 2000/- रुपये के अर्थदण्ड तथा धारा 317(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 के अन्तर्गत 02 वर्ष के साधारण कारावास व 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। इस प्रकरण में थाना विकासनगर पुलिस ने पैरवी में जो पेशेवर दक्षता और कर्तव्यनिष्ठा का प्रदर्शन किया, उसके परिणामस्वरूप पीड़िता को न्याय दिलाने में सफलता प्राप्त हुई है।

03- अभियुक्तगण का विवरण-

1. प्रहलाद पुत्र रामसहारे निवासी जल्लापुर महसी, लहरपुर सीतापुर।
2. हैदर हुसैन पुत्र साबिर हुसैन निवासी सी 43 बैरियर नं0 08, लवकुश नगर थाना गाजीपुर, जनपद लखनऊ।

04-पैरवीकर्ता-

1. थानाध्यक्ष थाना- विकासनगर आलोक कुमार सिंह
2. आरक्षी 1628 केशव यादव, थाना विकासनगर, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के तहत आज दिनांक 12.11.2025 को थाना महिंगवा में उपनिरीक्षक श्री संतोष कुमार, म030नि0 सुश्री प्रिया बाजपेई द्वारा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति 5.0 के रोस्टर वार अंतर्गत एंटी रोमियो स्कवायड टीम व मिशन शक्ति टीम के द्वारा महिला सुरक्षा केंद्र, महिला सशक्तिकरण तथा साइबर जागरूकता अभियान के तहत पूर्व माध्यमिक विद्यालय रायपुर बाबू थाना महिंगवा में बच्चों को मा0 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076, 1090, 112, 181, 1930, 102, 108 तथा थाना स्थानीय पर संचालित महिला सुरक्षा केंद्र महिला हेल्प डेस्क एवं वर्तमान में हो रहे महिलाओं से संबंधित अपराधों के बारे में जागरूक किया गया और साइबर फ्रॉड के संबंध में बताया गया, डिजिटल ओरेस्टिंग की भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया गया, ओटीपी न बताने और ऑनलाइन पेमेंट से बचने की हिदायत भी दी है, महिला हेल्प डेस्क, मिशन शक्ति केंद्र के कार्यों के बारे में जानकारी दी गयी एवं महिलाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी जागरूक किया गया।

जागरूकता के मुख्य बिंदु:

1. **आत्मरक्षा एवं सुरक्षा के तरीके:** छात्राओं को आत्मसुरक्षा के गुर सिखाए गए तथा 'गुड टच और बैड टच' के बारे में संवेदनशील जानकारी दी गई, ताकि वे किसी भी अनुचित व्यवहार को पहचान सकें और विरोध कर सकें।
2. **कानूनी अधिकार एवं कुप्रथा निषेध:** बालिकाओं को उनके कानूनी अधिकारों और बाल विवाह निषेध जैसे सामाजिक-कानूनी प्रावधानों के बारे में जागरूक किया गया।
3. **महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर:** पुलिस टीम ने छात्राओं को आपातकालीन सेवाओं हेतु आवश्यक हेल्पलाइन नंबरों जैसे 1090 (वूमेन पावर लाइन), 112 (आपातकालीन सेवा), 1098 (चाइल्डलाइन), 101, 102, 108, 1076 के बारे में बताया गया।
4. **साइबर सुरक्षा:** डिजिटल युग की चुनौतियों को देखते हुए, टीम ने साइबर अपराधों से बचाव के उपाय और साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई, ताकि छात्राएं ऑनलाइन खतरों से सुरक्षित रह सकें।
5. **पम्फलेट वितरण:** छात्राओं को जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सूचनात्मक पम्फलेट भी वितरित किए गए।

यह सराहनीय कदम महिला सशक्तिकरण के संदेश को देश के कोने-कोने तक पहुंचाने में मदद कर रहा है और एक सुरक्षित, सम्मानजनक और समान समाज के निर्माण की नींव रखता है।

कार्यक्रम का उद्देश्य एवं महत्व:

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला सुरक्षा, आत्मनिर्भरता एवं साइबर जागरूकता को बढ़ावा देना था। मिशन शक्ति टीम ने छात्राओं को यह संदेश दिया कि सुरक्षा, सम्मान और आत्मरक्षा हर नारी का अधिकार है और उन्हें अपनी आवाज़ बुलंद करने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए।